(UPFD01 004852 2026)

न्यायालय – सत्र न्यायाधीश, फिरोजाबाद।

उपस्थित– डा० बब्बू सारंग.... ... ... एच०जे०एस०
अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या– 2580/2026

1. **अमरदीप उर्फ जॉनी शर्मा** पुत्र राजकुमार शर्मा,
निवासी सरस्वती नगर, टीचर्स कालोनी, गली नं० 2, थाना उत्तर, जिला फिरोजाबाद।

... ...**प्रार्थी/अभियुक्त।**

बनाम

उ०प्र० सरकार... ... ... विपक्षी।

धारा– 191(2), 191(3), 118(1), 110, 115(2),352,351(2),324(4)बी०एन०एस०,
अपराध संख्या– 412/2025,
थाना– उत्तर, जिला– फिरोजाबाद।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त **अमरदीप उर्फ जॉनी शर्मा** द्वारा यह अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा **191(2), 191(3), 118(1), 110, 115(2), 352, 351(2), 324(4) बी०एन०एस०,** मु०अ०सं० **181/2025** थाना उत्तर, जिला **फिरोजाबाद** में अग्रिम जमानत हेतु धारा **482 बी०एन०एस०एस०** के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि, वादी मुकदमा अभिनव तैलंग द्वारा इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी कि वह अपने दो रिश्तेदारों आकाश गुप्ता व अनिरुद्ध शर्मा के साथ दिनांक 04.07.2025 को रात्रि करीब 11.30 बजे फिरोजाबाद क्लब खाना खाने गये थे। वहां पूर्व से मौजूद सागर खरबंदा, हिमांशू खरबंदा, अंकित यादव, दीपक यादव अपने अन्य 10–15 साथियों के साथ मौजूद थे तथा शराब के नशे में मैम्बर गार्डन में प्लेट ग्लास तोड़ रहे थे तथा गालियां दे रहे थे। वह क्लब का आधिकारिक मेम्बर है, इसलिये जब उसने उक्त लोगों का विरोध किया तो

Babbu Sarang
2026-06-19T12:
23:05+0530

उन्होंने उसे व उसके दोनों रिश्तेदारों को गालियां दीं और सागर खरबंदा ने अपने दोस्तों से इशारा करते हुए कहा कि इनको जान से मार दो। सभी ने अपने हाथों में लिये लाठी डण्डों से प्रार्थी व उसके दोनों मित्रों को मारना शुरू कर दिया तथा मारपीट के दौरान उसे व उसके दोस्त आकाश को गले में पहने हुई सोने की चैनें टूट गई व गिर गई, जो बाद में ढूंढी पर नहीं मिली। उसके भाई अचल तेलंग ने उक्त घटना की जानकारी पुलिस को दी। उक्त लोगों ने जान से मारने की धमकी दी। अतः रिपोर्ट पंजीकृत की जाये।

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि, उसे उक्त मुकदमे में झूठा नामजद किया गया है, उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है, वह पूर्णतः निर्दोष है। प्रार्थी दिनांक 04.07.2025 को शादी में सम्मिलित होने फिरोजाबाद क्लब गया था। वहां कुछ लोग शराब पीकर आपस में झगड़ा कर रहे थे, जिसमें उसे भी चोटें आईं। प्रार्थी प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित नहीं है और न ही वादी ने अपने बयान में प्रार्थी का नाम लिया है और न किसी चुटैल ने नाम लिया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट करीब 40 घण्टे की देरी से पंजीकृत कराई गई है। विवेचक द्वारा मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार करके प्रार्थी के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया है। सह अभियुक्तगण की जमानत न्यायालय द्वारा पूर्व में स्वीकृत की जा चुकी हैं। वह अग्रिम जमानत की शर्तों का उल्लंघन नहीं करेगा। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाये।

राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गयी विधि व्यवस्था **माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णयज विधि Criminal appeal No. /2024(@ Special Leave Petition (Crl.)No.7940of 2023) Srikant Upadhyay and others v/s State of Bihar and Anr.** में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि अभियुक्त के द्वारा यदि मामले की विवेचना में अथवा विचारण न्यायालय की कार्यवाही में सहभागिता अथवा सहयोग नहीं किया जाता है, तब उन परिस्थितियों में वह अग्रिम जमानत प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा। अतः अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध केस डायरी व अन्य प्रपत्रों का गहनता पूर्वक अवलोकन किया।

प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त पर अन्य सह

Babbu Sarang
2026-06-19T12:
23:05+0530

अभियुक्तगण के साथ मिलकर एक राय होकर बलवा कारित करते हुए लाठी डण्डों से लैंस होकर वादी मुकदमा के भाई व उसके रिश्तेदारों को गालियां दिये जाने, उनके साथ मारपीट किये जाने जिससे चुटैल अभिनव तेलंग के सिर में फ्रैक्चर कारित किये जाने तथा उन्हें जान से मारने की धमकी दिये जाने का आरोप है, जिसका पुष्टिकारक साक्ष्य केस डायरी पर उपलब्ध है। पत्रावली पर उपलब्ध चुटैल आकाश कुमार गुप्ता की चिकित्सीय आख्या में उसे 12 चोटें, जिसमें चोट सं० 10 को जेरे निगरानी रखते हुए एक्स–रे की सलाह दिये जाने तथा चुटैल अनिरुद्ध शर्मा को 8 चोटें आने का कथन अंकित है। चुटैल अभिनव तेलंग को 8 चोटें जिसमें चोट सं० 1 को सी०टी० स्कैन तथा चोट सं० 2, 5, 6, 7 को जेरे निगरानी रखते हुए एक्स–रे की सलाह, चोट सं० 3, 4 को जेरे निगरानी रखते हुए यू०एस०जी० एब्डोमेन की सलाह दी गई है। पत्रावली पर उपलब्ध अभिवन तेलंग की सी०टी० स्कैन आख्या में उसके दांये टैम्पोरल पैराइटल बोन में फ्रैक्चर कारित होने का कथन अंकित है। प्रस्तुत प्रकरण में साक्ष्य संकलन के पश्चात विवेचक द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया जा चुका है तथा अभियोजन द्वारा कथन किया गया है कि अभियुक्त विचारण न्यायालय में सहयोग नहीं कर रहा है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने से उसके द्वारा विचारण न्यायालय में विलम्ब कारित किये जाने की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। अतः प्रस्तुत मामले के सम्पूर्ण तथ्यों, परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, मामले के गुण–दोष पर कोई मत व्यक्त किये बिना न्यायालय की राय में प्रार्थी/अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने का पर्याप्त आधार नहीं है। अतएव अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त **अमरदीप उर्फ जॉनी शर्मा** की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांक– 19.06.2026

(डा० बब्बू सारंग)
सत्र न्यायाधीश,
फिरोजाबाद।

Babbu Sarang
2026-06-19T12:
23:05+0530